

30/01/2020 पत्रावली पेश हुई। मखिबका मपीलांटका
 मखिबका मपीलांट ने निवेदन किया
 कि मूल मपील पत्रावली बहस में
 विचारणीय थी लेकिन मपीलांट
 तकील जिला मुख्यालय से दूर उड़ानावाली
 गये हुए थे। मखिबका मपीलांट ने पत्रावली
 नहीं कर पाया। मते: मपीलांटका
 आवेदन स्वीकार पारगाना जावे।
 मखिबका मपीलांट को सुना गया।
 मागति में मपीलांट का आवेदन
 स्वीकार किया जाकर आवेदन
 को जाते हैं कि मूल मपील पत्रावली
 को पुनः उठाते नमक पर
 दर्ज किया जावे। पत्रावली
 फेलत सुमार नमक से कम
 होकर जो 5 तक मील होखेत
 दफतर हो। आवेदन भर इजाजत
 सुनाया गया।



दिनांक
 30/01/20
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाहमेर